उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 329 / XXX(2) / 2007
देहरादून, 05 जुलाई, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

समूह "घ" कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007

भाग एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 5 व नियम 21(2) का प्रतिस्थापन-

समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
1. नियम 5 सेवा का संवर्ग किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये : परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।	1. नियम 5 सेवा का संवर्ग किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये : परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। परन्तु यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है,जो आवश्यक समझे जाये ।

2. नियम 21(2) परिवीक्षा यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	2. नियम 21(2) परिवीक्षा यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान और अन्त में या किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है तो उसे उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3 मूल नियमावली के अंग्रेजी रुपान्तर में नियम 9, नियम 15 उपनियम(3) एवं नियम 20 उपनियम(1) के कतिपय पंक्ति एवं शब्दों को निम्नवत पढ़ा जाय :-

(i) नियम 9 की पंक्ति में:

"must not have attained the age of 35 years" के स्थान पर "must not have attained the age of more than 35 years"

(ii) नियम 15 उपनियम (3)

"An Office" के स्थान पर "An Officer"

(iii) नियम 20 उपनियम (1)

"नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में" के स्थान पर "नियम 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में"

आज्ञा से,

(डी.के. कोटिया)

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governer is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. / XXX(2)/2007, dated July, 2007 :

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No.329 / XXX(2)/2007,
Dated Dehradun,05 July, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Group 'D' Employees Service Rules, 2004 .—

GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2007

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called, the Group 'D' Employees Service (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule 5 and Sub rule (2) of rule 21

In the Group 'D' Employees Service Rules, 2004 (herein after referred to as the principal rules) for the present rules set out in column-1 below, the rules as set out in column-2 shall be substituted :-

Column-1 (Existing rules)	Column-2 (rules as hereby substituted)
1. Rule 5. Cadre of Service The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall be as such as may be determined by the Government from time to time : Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation :	**1. Rule 5. Cadre of Service** The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time : Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation : Provided further that the Administrative Department of the Government may, in consultation with the Personnel Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts in any establishment from time to time as may be deemed necessary.

2- Rule 21(2) Probation If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.	**2- Rule 21(2) Probation** If, during or at the end of the period of probation or the extended period of probation or at any time it appears to the appointing authority that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfactory performence, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

3. In the English version of the Principal Rule 9, sub rule (3) of rule 15, sub rule (1) of rule 20, the following line and word shall be read as follows :-

(i) **<u>In rule 9</u>**

"must not have attained the age of 35 years" as "must not have attained the age of more than 35 years"

(ii) **<u>Rule 15 sub rule(3)</u>**

" An office" as "An Officer"

(ii) **<u>Rule 20 sub rule(1)</u>**

" list of candidates prepared under rule 21 or rule 22" as " list of candidates prepared under rule 18 or rule 19"

By Order,

D.K.Kotia
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या: 329 /XXX(2)/2007
देहरादून: दिनांक: 05 जुलाई ,2007

दिनांक: 05 जुलाई, 2007 को प्रख्यापित "समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आर0 सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव ।